भारत सरकार **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 4224**
वाणिज्य विभाग

दिनांक 19 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

चीनी उत्पादों पर निर्भरता

4224. एडवोकेट प्रिया सरोज:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान चीन से आयात का कुल मूल्य कितना है और यह प्रत्येक वर्ष के कुल आयात का कितना प्रतिशत है;
(ख) चीन से आयातित शीर्ष 10 उत्पाद श्रेणियाँ, और उन श्रेणियों के अंतर्गत भारत के कुल आयात में उनकी हिस्सेदारी कितनी है;
(ग) क्या सरकार के पास इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स (एपीआई), ऑटो कंपोनेंट और सौर उपकरण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शीर्ष 10 श्रेणियों के संबंध में चीनी आयात की हिस्सेदारी के प्रतिशत आंकड़ों का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या चीनी मूल के उत्पादों पर रणनीतिक निर्भरता कम करने के लिए कोई क्षेत्रवार निर्भरता न्यूनीकरण योजना तैयार की गई है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और
(ङ) पिछले पाँच वर्षों में चीन के साथ व्यापार घाटे की स्थिति क्या है और औद्योगिक तथा उपभोक्ता दोनों क्षेत्रों में भारतीय विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान चीन से आयात का कुल मूल्य क्रमशः 98.50 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 101.74 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और भारत के कुल आयात में इनका प्रतिशत क्रमशः 13.76% और 15% था।

(ख) और (ग): चीन से आयातित शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुएं और वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भारत के कुल आयात में उनकी हिस्सेदारी अनुबंध-I में देखी जा सकती है।

(घ) और (ङ): चीन से आयातित अधिकांश वस्तुएँ कच्चे माल, इंटरमिडिएट वस्तुएँ और पूंजीगत वस्तुएँ हैं, जैसे एक्टिव फार्मासेटिकल सामग्री, ऑटो कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे और असेंबली, मोबाइल फोन के पुर्जे, आदि। इनका उपयोग परिसज्जित उत्पाद बनाने में किया जाता है और इनका निर्यात भी भारत से बाहर किया जाता है। इन वस्तुओं का आयात भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, दूरसंचार और बिजली जैसे तेज़ी से बढ़ते क्षेत्रों की माँग को पूरा करने के लिए किया जाता है।

सरकार ने घरेलू आपूर्ति बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए कई पहल की हैं। दुनिया में भारत के विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सितंबर 2014 में 'मेक इन इंडिया' पहल शुरू की गई थी ।

वर्तमान में, 'मेक इन इंडिया' 2.0 विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है।

भारत के 'आत्मनिर्भर' बनने के विज़न को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी हार्डवेयर, फार्मास्यूटिकल्स, बल्क ड्रग्स, उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल, ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स, व्हाइट गुड्स, दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों सहित 14 प्रमुख क्षेत्रों में 1.97 लाख करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं शुरू की हैं।

इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में, सरकार ने कई योजनाएँ शुरू की हैं, जैसे बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए पीएलआई, आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी और ईएमसी 2.0) योजना, और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों एवं सेमीकंडक्टर्स अर्धचालकों के विनिर्माण को बढ़ावा देने संबंधी योजना (एसपीईसीएस)। घटकों की आयात निर्भरता को और कम करने, मूल्य श्रृंखला में निवेश आकर्षित करके एक मज़बूत घटक विनिर्माण इको-सिस्टम विकसित करने, और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (जीवीसी) के साथ एकीकरण करके वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक व्यापार में भारत के निर्यात की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए, सरकार ने 22,919 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना (ईसीएमएस) शुरू की है।

फार्मास्युटिकल क्षेत्र में, सरकार ने भारत में महत्वपूर्ण प्रमुख प्रारंभिक सामग्री (केएसएम) / ड्रग इंटरमीडिएट्स (डीआई)/एक्टिव फार्मास्युटिकल सामग्री (एपीआई) के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने संबंधी पीएलआई योजना शुरू की है, जिसे बल्क ड्रग्स के लिए पीएलआई योजना के रूप में भी जाना जाता है, जिसका बजटीय परिव्यय 6,940 करोड़ रुपये है। इस योजना का उद्देश्य एकल स्रोत पर अत्यधिक निर्भरता के कारण आपूर्ति व्यवधान के जोखिम को कम करके, महत्वपूर्ण एपीआई की आपूर्ति में व्यवधान से बचना है। 15,000 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ फार्मास्यूटिकल्स संबंधी पीएलआई योजना भी शुरू की गई है ताकि इस क्षेत्र में निवेश और उत्पादन बढ़ाकर और फार्मास्युटिकल क्षेत्र में उच्च मूल्य वाली वस्तुओं के लिए उत्पाद विविधीकरण में योगदान देकर भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा, बल्क ड्रग्स पार्कों को बढ़ावा देने की योजना के तहत, जिसका कुल बजटीय परिव्यय 3,000 करोड़ रुपये है, आंध्रप्रदेश, गुजरात और हिमाचल राज्यों में तीन पार्कों को अनुमोदन प्रदान किया गया है और ये विकास के विभिन्न चरणों में है।

सौर क्षेत्र में, सरकार सौर उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए लगातार नीतियाँ ला रही है। सरकार उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल में गीगावाट पैमाने की घरेलू विनिर्माण क्षमता हासिल करने के लिए 24,000 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ उच्च दक्षता वाले सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल के लिए पीएलआई योजना लागू कर रही है। सरकार सार्वजनिक खरीद में 'मेक इन इंडिया' को भी प्राथमिकता दे रही है। इसके अलावा, सरकार ने सौर पीवी सेल, सौर पीवी मॉड्यूल, सौर इनवर्टर और सौर ग्लास के आयात पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) लगाया है।

ऑटो क्षेत्र में, सरकार ने उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी (एएटी) उत्पादों के लिए भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने हेतु 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ भारत में ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए पीएलआई योजना (पीएलआई-ऑटो) अधिसूचित की है। इस योजना का उद्देश्य एएटी उत्पादों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और ऑटोमोटिव विनिर्माण मूल्य श्रृंखला में निवेश आकर्षित करना है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, सरकार ने 'व्यापार करने में आसानी' के अंतर्गत कई पहल की हैं जिनमें व्यापार सुधार कार्य योजना (बीआरएपी), बी-रेडी मूल्यांकन, ट्रेड कनेक्ट ई-प्लेटफॉर्म और व्यवसायों तथा नागरिकों पर अनुपालन संबंधी बोझ को कम करना शामिल है।

देश में संभार तंत्र संबंधी लागत को कम करने और संभार तंत्र संबंधी दक्षता में सुधार करने के लिए राष्ट्रीय संभार तंत्र नीति और पीएम गति शक्ति की शुरुआत की गई है। पीएम गति शक्ति लोगों और वस्तुओं की आवाजाही को आसान बनाने के लिए मल्टीमॉडल अवसंरचना ढांचे के एकीकृत विकास में भी मदद करती है। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) एक परिवर्तनकारी पहल है जिसका उद्देश्य भारत में विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी विनिर्माण केंद्र बनाना है।

सरकार भारतीय व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं की तलाश करने और आपूर्ति के एकल स्रोतों पर निर्भरता कम करने हेतु अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसके अलावा, सरकार नियमित आधार पर आयात में वृद्धि की निगरानी करती है और उचित कार्रवाई करती है। इसके अलावा, व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) को अनुचित व्यापार परिपाटियों के विरुद्ध व्यापार उपचारात्मक कार्रवाई शुरू करने और उसकी अनुशंसा डीकरने का अधिकार है।

सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से कई क्षेत्रों में आयात पर निर्भरता कम हुई है। उदाहरण के लिए, चिकित्सा उपकरणों के लिए पीएलआई योजना के तहत, 21 परियोजनाओं ने 54 विशिष्ट चिकित्सा उपकरणों का निर्माण शुरू कर दिया है, जिनमें लीनियर एक्सेलरेटर (एलआईएनएसी), एमआरआई, सीटी-स्कैन, हार्ट वाल्व, स्टेंट, डायलाइज़र मशीन, सी-आर्म, कैथ लैब, मैमोग्राफ, एमआरआई कॉइल आदि जैसे उच्च-स्तरीय उपकरण शामिल हैं। इसके अलावा, बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण संबंधी पीएलआई योजना ने भारत में मोबाइल विनिर्माणकारी क्षेत्र को विशेष रूप से प्रभावित किया है, जिससे भारत मोबाइल फोन के शुद्ध आयातक से शुद्ध निर्यातक बन गया है। मोबाइल फोन का निर्यात 2014-15 में 1,500 करोड़ रुपये से बढ़कर 2024-25 में 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल विनिर्माण देश है। इसके अलावा, औषधि क्षेत्र में 2.66 लाख करोड़ रुपये की संचयी बिक्री हुई है, जिसमें योजना के पहले तीन वर्षों में प्राप्त 1.70 लाख करोड़ रुपये का निर्यात भी शामिल है। इस योजना ने भारत को थोक औषधियों (2280 करोड़) का शुद्ध निर्यातक बनाने में योगदान दिया है, जो वित्त वर्ष 2021-22 में शुद्ध आयातक (-1930 करोड़) से बढ़कर शुद्ध निर्यातक (2280 करोड़) हो गया। इसके परिणामस्वरूप घरेलू विनिर्माण क्षमता और महत्वपूर्ण औषधियों की मांग के बीच के अंतर में भी उल्लेखनीय कमी आई है।

पिछले पांच वर्षों में चीन के साथ व्यापार घाटे की जानकारी वाणिज्य विभाग की वेबसाइट अर्थात https://tradestat.commerce.gov.in/ftspcc/ttrade_country_wise से प्राप्त की जा सकती है:

अनुबंध-I

दिनांक 19.08.2025 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4224 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

वित्त वर्ष 2024-25 में चीन से आयातित शीर्ष 10 प्रमुख वस्तु समूह और भारत के कुल आयात में उनकी हिस्सेदारी:

(मूल्य मिलियन अमेरिकी डॉलर में)

क्र.सं.	**प्रमुख वस्तु समूह**	**भारत का कुल आयात (2024-25)**	**चीन से आयात (2024-25)**	**भारत के कुल आयात में चीन की हिस्सेदारी (%)**
1	इलेक्ट्रॉनिक्स घटक	36804.93	13964.57	37.94
2	दूरसंचार उपकरण	22338.49	9695.53	43.40
3	कंप्यूटर हार्डवेयर, बाह्य उपकरण	18541.11	9170.88	49.46
4	डेयरी आदि के लिए औद्योगिक मशीनरी	18479.82	8360.05	45.24
5	जैविक रसायन	16307.28	4827.66	29.60
6	इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण	12115.82	4632.28	38.23
7	इलेक्ट्रिक मशीनरी और उपकरण	13309.16	4007.66	30.11
8	प्लास्टिक कच्ची सामग्रियां	16447.93	3738.89	22.73
9	बल्क औषधियां ड्रग इंटरमिडिएट्स	4637.53	3436.68	74.11
10	अवशिष्ट रसायन और संबद्ध उत्पाद	12587.44	3296.93	26.19

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, भारत के ऑटो घटकों/पार्टस के कुल आयात का मूल्य 7174.73 मिलियन अमेरिकी डॉलर था और इस श्रेणी में चीन से भारत के आयात का मूल्य 1912.82 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। ऑटो घटकों/पार्टस के कुल आयात में चीन की हिस्सेदारी 26.66% थी।

(स्रोत: डीजीसीआईएस)

*****